

५

राजस्थान सरकार  
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग  
उद्योगपाल बहादुर जी ३/१, राजगढ़ रेजीडेंसी से, जबलपुर

क्रमांक : एम १५(७०)म.क./साम्वा.एव.अ.वि./०७/२२८०६

जबलपुर, दिनांक : २६.०४.२००७

विधवा विवाह उपहार योजना नियम, २००७

रत्नमान यैशन नियमों में हकदार विधवा गहिला शारी करती है तो उसे शादी के गौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार रूपरूप राशि प्रदान करने हेतु नियन्त्रण प्रकार से नियम लियाये जाते हैं:-

१. संक्षिप्त नाम एवं प्रभाव क्षेत्र:

१. ये नियम यैशन नियमों में हकदार विधवा महिला के विवाह करने पर उपहार योजना नियम, २००७ कहलायेंगे।
२. ये नियम संपूर्ण (राजस्थान) राज्य में १ अप्रैल २००७ से प्रभावी होंगे।
३. १ अप्रैल २००७ अद्यक्ष इस के उपरान्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने वाली विधवा गहिलाये उपहार राशि प्राप्त कर सकेंगी।

२. परिचायाएँ:

इन कियोंगों के जब तक सन्दर्भ अव्यथा अपेक्षित न हों,

१. “शब्द संश्लेषण” से तात्पर्य सरकार से है।
२. “विभाव” से तात्पर्य सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
३. “निदेशक” (आयुक्त) से तात्पर्य लिदेशक (आयुक्त) सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से है।
४. “जिला अधिकारी” से तात्पर्य सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलों में पदस्थापित उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
५. “स्वीकृति अधिकारी” से तात्पर्य जिलों में पदस्थापित अथवा उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
६. “कोषाधिकारी” / “उपकोष प्रभारी” से तात्पर्य कोषागार के प्रभारी अधिकारी से है जिनके हस्ताक्षर से राज्य सरकार के भुगतान सम्बंधी बिल पास किये जाते हैं।

7. "विधवा" से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके विवाह उपरान्त उसके पति का देहान्त हो गया हो और वह देवध्य जीवन व्यक्तित्व कर रही हो एवं उसने पुर्वविवाह नहीं किया हो।

3. पात्रता :-

1. आवेदक विधवा हो तबा वेदध्यता पूर्ण जीवन व्यक्तित्व कर रही हो।
2. इन नियमों के लाई होने से पूर्व उसने पुर्वविवाह नहीं किया हो।
3. विधवा की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो।
- (4) राजस्थान राज्य की मूल विवास हो अथवा पुर्वविवाह करने की जारीज से कम से कम तीन वर्ष की अवधि से वह राजस्थान राज्य में रह रही हो।
5. विधवा पेशन नियमों के अन्तर्गत विधवा पेशन प्राप्त करने की पात्रता रखती हो। (इसमें उसके कुदुरब का कोई सदस्य बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का न होने व आय सम्बंधी पेशन की पात्रता शर्ते शामिल हैं।)

4. उपहार राशि एवं बजट प्रावधान:-

1. विधवा की शादी पर उपहार राशि जिला अधिकारी द्वारा अहसित कर चैक/बैंक फ्रायट द्वारा आवेदिका को प्रदान दी जायेगी।
2. जिला अधिकारी द्वारा प्रदान की गई उपहार राशि का विवरण (स्वीकृति) प्रतिमांह निदेशालय को भिजाया जायेगा।
3. निदेशालय सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला अधिकारी को आवश्यक बजट का आवंटन किया जायेगा।
4. आवेदन प्रस्तुत करने और उपहार राशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया :-
  1. उपहार राशि प्राप्त किये जाने हेतु लिखारित प्रपत्र "उपहार-क" में आवेदन पत्र विवाह के एक भाग बाद तक सम्बन्धित जिले के जिला सामाजिक व्याय उत्तर अधिकारिता विभाग के अधिकारी ने जमा कराना होगा।
  2. आवेदन फार्म जिला कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा सादे कागज पर किया जा सकता है।
  3. विहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला अधिकारी आवेदन का इन्डोज कार्यालय के लिजिस्टर में किया जाकर आवेदन की जांच करायेगा।
  - (4) आवेदन की जांच एक सप्ताह में छाक्रावास अधीक्षक से कराई जायेगी।

ये नियम वित्त विभाग की अच्छीविभागीय टीप संख्या 133 दिनांक  
24.4.07 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रत्यारित किए जाते हैं।

Dowell  
आयुक्त १९०२

प्रतिलिपि बिन्दु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, मंत्री सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव विच एवं आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक सुरक्षा एवं आयुक्त निशता जब राजस्थान जयपुर।
8. सचिव आयोजना विभाग जयपुर।
9. उप सचिव, विच (विधाय) / विच (व्याय 2) विभाग जयपुर।
10. जिला कलेजटर .....
11. कोषाधिकारी कोष कार्यालय .....
12. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
13. परियोजना अधिकारी, (एस.सी.पी.) सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
14. उप विदेशक (एस.टी.पी.) प्रान शासाधिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
15. उप विदेशक/सहायक विदेशक/जिला परिवेश एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग .....
16. निदेशलय के समर्त अधिकारी/प्रशासकार्ये।
17. रक्षित पञ्चावली।

आयुक्त  
26.4.07

राजस्थान सरकार

## सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिकारीद्वारा कर्मचारी विधवाओं के पुनर्जीवन पर उपहार योजना

आवेदन पत्र

- आवेदिका का नाम
- आवेदिका के स्वर्गीय पति का नाम व पता
- आवेदिका की आयु  
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- अगर बी.पी.एल. परिवार से है तो बी.पी.एल. में चयनित परिवार सूची में क्रमांक  
वार्ड ..... ग्राम ..... पंचायत समिति ..... / वार्ड संख्या ..... नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम ..... जिला .....
- बी.पी.एल. कार्ड संख्या (मानित प्रतिलिपि संलग्न करें)
- वर्तमान शिवास स्थान का पूरा पता  
(शिवा मकान नंबर, गैल्ली, गल्ली, पीस्ट ऑफिस, कर्बा, जिला अधिकारी)
- स्वर्गीय पति की मृत्यु तिथि  
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- स्वर्गीय पति की गृह्य कारणरूप
- समस्त स्त्रीतों से मासिक आय (आय का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रभाण पत्र संलग्न करें)
- आवेदक का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम व पता

--	--	--	--	--	--	--	--

- क्या आवेदिका विधवा पेशन प्राप्त कर रही है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो पेशन ऑर्डर (पी.पी.ओ.) संख्या व तिथि  
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

- आवेदिका के परिवार के सदस्यों का दिवरण  
(राशनकार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

नाम	जन्म तिथि	शिवा	व्यवसाय

- क्या आवेदिका बी.पी.एल. में चयनित परिवार से है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो बी.पी.एल. कार्ड संख्या  
(मानित प्रतिलिपि संलग्न करें)

16. प्रस्तावित दर का विवरण, जिससे आवेदिका विवाह करना चाहती है।

नाम	पिता का नाम	पुरा पता	जन्म तिथि	शिक्षा	व्यवसाय

17. प्रस्तावित दर क्या पूर्व में किलाहित रहा है ? हो / नहीं

18. यदि हो, तो पूर्व पत्नी से संतानों का विवरण :-

नाम	जन्म तिथि	दर से सम्बन्ध	शिक्षा	व्यवसाय	वर्लमान रिकॉर्ड

19. विवाह तिथि (विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हो)

20. आवेदन की तिथि

दिनांक :

(हस्ताक्षर आवेदिका)

स्थान :

### (आवेदक का शपथ पत्र)

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉप पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो) मैं श्री/ श्रीमति ..... पुत्र/ धर्मपति श्री .....

गान्धकर शपथपूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी कथन सत्य है, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है। यदि किसी भी चरण पर कोई तथ्य गलत या असत्य पाया जाता है, तो विभाग द्वारा स्वीकृत राशि जमा कराने के लिए बचनबद्ध हूँ तथा ऐसे कृत्य के लिए विभाग मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा।

हस्ताक्षर आवेदक :

दिनांक :

स्थान :

13. क्या परिवार चयनित परिवारों की सदी में समर्पित है (हाँ / नहीं)

14. यदि हाँ तो नम्बर अकित करें (कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

15. प्रस्तावित वर / वरों का विवरण—

नाम	पिता का नाम	जून वर्ष	जन्म तिथि	पिता	जून वर्ष

16. प्रस्तावित विवाह तिथि

17. आवेदन की तिथि

हस्ताक्षर उल्लेखिका

न्यु एण्टी एटोमा

10  
61

### कार्यालय उपचार छेत्र

(स्त्रीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र)

प्राप्त सिफारिश के आधार पर श्रीमही

धर्मपति

श्री

निवासी

श्री

निवासी

का पुनर्विवाह दिनांक

को

श्री

के साथ किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा देय उपहार राशि रुपये 15000/- स्वीकृत की जाती है।

### (भुगतान रसीद)

मैंने (श्रीहती)

श्री

निवासी

से पुनर्विवाह पर राज्य सरकार

द्वारा देय उपहार राशि रुपये 15000/- का बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जंख्या

दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर आवेदिका

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
 अन्वेषक वयन, बी -3/1, राजनहल रेलीडेंसी सेक्ट, जयपुर

फॉरम:- एफ 15 ( ) सा/नक./सांचावि/16-17/

३०२१०

जयपुर दिनांक :

११/०५/२०१६

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 109.0.0 की अनुपालना में विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(90) म.क./ सांचावि/07/ 22805 दिनांक 26.04.2007 द्वारा जारी विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 के बिन्दु संख्या 4(1) उपहार राशि एवं बजट प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विधवा की शादी पर एन्ड्रह हजार रुपये की उपहार राशि देय होगी।	विधवा की शादी पर तीस हजार रुपये की उपहार राशि देय होगी।

उपहार राशि हेतु आदेश य स्वीकृति की प्रक्रिया की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 161600515 दिनांक 18.04.2016 से ग्राप्त सहगति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव रो लागू होगा।

M. १०.५.१६

(अम्बरीष कुमार)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

फॉरम:- एफ 15 ( ) सा.सु./नक./सांचावि/16-17/ ३०२११-३५५

जयपुर दिनांक : ११/०५/२०१६

प्रतिलिपि:- निम्न को रूचनार्थ एवं आवश्यक कायेवाही हेतु ब्रेष्टित है :-

- ✓ 1. सविय द्वितीय, मुख्यमंत्री ठोड़ा, राजस्थान जयपुर।
- 2. विशिष्ट राहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3. निजी राचिव, मुख्य राचिव, राजस्थान जयपुर।
- 4. निजी राचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5. निजी राचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6. निजी राचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त चंचायत राज एवं शामील विभाग राजस्थान जयपुर।
- 8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 9. रामरत जिला कलक्टर ..... |
- 10. समरत मुख्य कायेकारी अधिकारी जिला परिषद ..... |
- 11. वित्तीय सलहकार, मुख्यावास।
- 12. समरत कोषाधिकारी कोषकार्यालय ..... |
- 13. उपनिदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ..... |
- 14. एनालिस्ट -कन प्रौद्योगिक, मुख्यादास पर वेबसाइट अपडेट करने वाले।
- 15. राहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क मुख्यादास को वास्ते उचित प्रचार प्रसार।
- 16. आदेश प्रावित।

अम्बरीष  
निदेशक (सा.सु.)